

तारीख
हुक्म

22 ⁶/₂₂ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. पत्रावली वाले साक्ष्यवादी एक पक्षीय अंतिम अवसर में दिनांक 19-7-22 को पेश हो। ✓

22/7

19 ⁷/₂₂ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपालब्ध पत्रावली वाले साक्ष्यवादी एक पक्षीय अंतिम अवसर में दिनांक 22-8-22 को पेश हो। ✓

22 ⁸/₂₂ पीठासीन अधिकारी का कार्य/राजकार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 22 को पेश हो।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी भांगरोल जिला बारा

17 ¹¹/₂₂ पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. पत्रावली वाले साक्ष्यवादी एक पक्षीय अंतिम अवसर में दिनांक 25-01-2023 को पेश हो। ✓

25 ¹/₂₃ पत्रावली पेश हुई। रक रक कर तीन बार आवाज दिलाई गई। न लो वकील वादी उप. न ही वादी उप. ऐसी स्थिति में न्यायालय उक्त वाद को आगे जैरकार रखना उचित नहीं समझता है। अतः उक्त वाद अदम छजरी अदम पेशी में खारिज किया जाय है। पत्रावली पेशल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 25-01-2023 को सरे इजलास सुनाया गया। ✓

भांगरोल जिला न्यायालय
दिनांक 25-01-2023
उपखण्ड अधिकारी